प्रेषक

मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश। 2-

### पंचायती राज,अनुभाग-3

दिनांक-07 जुलाई, 2023 लखनऊ:

विषय:--राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर०जी०एस०ए०) योजनान्तर्गत राज्य, समस्त मण्डलों, डी०पी०आर०सी०, जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से व्यय करते समय विभिन्न कटौतियां / करों के भुगतान / निपटान (Settlement) हेतु ब्याज रहित नवीन होल्डिंग खाता खोले जाने के संबंध में।

महोदय.

कृपया व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित् पत्रांक—F.N01(13)/ PFMS/ FCD/2020, दिनांक 16 मार्च, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से व्यय करते समय विभिन्न कटौतियों / करों के भुगतान और निपटान के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु सुझाव दिये

1. कर/सांविधिक कटौतियों की धनराशि को रखने के लिए Implementing Agencies (IAs) द्वारा एक अलग बैंक खाता (जिसे होल्डिंग एकाउन्ट कहा जाएगा) खोला जाएगा।

2. इस होल्डिंग खाते को चेक या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पी.एफ.एम.एस. के बाहर भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वैधानिक भुगतानों को एक साथ दर्ज किया जा सके।

होत्डिंग खाते में निम्नलिखित शर्ते होंगी:-

यह खाता अधिमानतः उसी बैंक में खोला जायेगा, जिससे एस०एन०ए० / जेड०बी०ए० खाता

इस खाते में अधिकतम 14 दिनों के लिए पैसा रखा जा सकता है, जिसके बाद धनराशि वापस एजेंसी के खाते में जमा किया जाएगा।

पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सांविधिक कटौतियों / करों के भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया Standard Operating Procedure (SOP) संलग्नक-1 पर है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत राज्य, मण्डलों, डी०पी०आर०सी०, जनपदों व ग्राम पंचायतों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से भुगतान करते समय विभिन्न कटौतियों / करों के भुगतान हेतु उपरोक्तानुसार ब्याज रहित नवीन होल्डिंग खाता खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

उप निदेशक (पंo)

पंचायती राज उ० प्र०।

11-7.4023

RGSA

भवदीय.

Signed by मनोज कुमार सिंह Date: 07年41 2023(付点:58:11 Reasons Approved

संख्या:-/33-3-2023- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०।

- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से

(गिरिजेश कमार) उप सचिव।

Dell/E/Shir-GO

## पीएफएमसएस के ई0ए0टी0 मॉडयूल्स पर कर/सांविधिक कटौती और भुगतान के लिए एस0ओ0पी0

1. Implementing Agencies (IAs) को एक अलग बैंक खाता (होल्डिंग खाता) अधिमानतः उसी बैंक में खोलना होगा जहां मुख्य परिचालन खाता (एसएनए/जेडबीए आदि) है। इसका उपयोग अस्थायी रूप से करों/सांविधिक कटौतियों आदि के वैधानिक खाते में भगतान हेत् किया जायेगा।

2. होल्डिंग खाता एक ब्याज रहित वाला खाता होगा, जहां हस्तांतरित धनराशि को अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए रखा जा सकता है। इस खाते का उपयोग केवल पी०एफ०एम०एस० से धनराशि के हस्तांतरण (किसी अन्य स्रोत से नही) तथा समस्त करों / सांविधिक कटौतियों के भुगतान हेतु किया जा सकेगा।

3. Implementing Agencies (IAs) के खाता सत्यापन के लिए पी०एफ०एम०एस० पर संबंधित

योजना के लिए होल्डिंग खाते के विवरण को पंजीकृत करेगी।

4. वेंडर को भुगतान करते समय Implementing Agencies (IAs) पीएफएमएस के (EAT) मॉडयूल में निम्नलिखित प्रविश्टिया अंकित करेंगी :--

भुगतान की सकल राशि।

II. प्रासंगिक वैधानिक / कर कटौती।

5. Implementing Agencies (IAs) या तो डीएससी मोड या ईपीए / पीपीए मोड़ के माध्यम से पहले वेंडर को शुद्ध भुगतान (अर्थात कटौती की कुल राशि घटाकर) को मंजूरी देगी।

6. वेंडर का भुगतान सफल होने के बाद (जैसा कि ऊपर बिन्दु संख्या—5 में अनुमोदित है). Implementing Agencies (IAs) के माध्यम से निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए:-

I. डीएससी से भुगतान के मामले में समस्त कटौती को होल्डिंग खाते में

हस्तानान्तरित करने के लिए डीएससी का उपयोग किया जायें।

 ईपीए/पीपीए भुगतानों के मामले में समस्त कटौती को होल्डिंग खाते में हस्तानान्तरित करने के लिए ईपीए/पीपीए का उपयोग किया जायें।

7. Implementing Agencies (IAs) द्वारा कर / सांविधिक कटौतियों के भुगतान को होल्डिंग खाता के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग या चेक तथा चालान से पेमेंट कर सकेंगी तथा यह भुगतान बकाया के रूप में पीएमएमएस पर डिडक्शन सेटेलमेंट फार्म में प्रदर्शित होगा।

8. होल्डिंग खाते से किये गये कर / कटौटियों का भुगतान / निपटान पीएफएमएस डिडक्शन

सेटेलमेंट सुविधा को अंकित कर सकेंगी।

9. Implementing Agencies (IAs) को वैधानिक कटौती की धनराशि को होल्डिंग खाते में हस्तातरण की दिनांक से अत्याधिक 14 दिनों के भीतर भुगतान करने की अनिवार्य होगा। 14 दिनों की समाप्ति के बाद, अप्रयुक्त धनराशि एजेंसी के खाते में वापस की जायेगी।

No. PrAO/CCA/MoRD/PFMS/2021-22/ भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय मख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय प्रधान लेखा कार्यालय क. सं. 549, जी विंग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 https://rural.nic.in / Email - prao.del-mord@gov.in

Dated: 17.03.2022

#### OFFICE MEMORANDUM

Subject: Procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Scheme(CSS) and monitoring utilization of the funds released - regarding payment of statutory deductions.

The undersigned is directed to forward herewith the O.M, F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020 dated 16th March 2022 issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance along with the SoP for tax/statutory deductions and payments on EAT Module of PFMS for information and further necessary action at your end.

This issues with the approval of Competent Authority.

Encl: As above

Sr. Accounts Officer

To.

- 1. All Programme Divisions of DoRD, DoLR and MoPR.
- 2. IFD/Budget Division of DoRD, DoLR and MoPR.

Copy for information to:

- 1. PPS to AS&FA, MoRD
- 2. PS to CCA, MoRD/ MoPR
- 2. PA to CA, MoRD/ MoPR

Celtlame

F. No 1(13)/PFMS/FCD/2020 Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure

> 5th Floor, Block 11, CGO Complex New Delhi, the Murch, 2022

#### OFFICE MEMORANDUM

Subject: Procedure for release of funds under the Centrally Spunsored Scheme (CNS)

and monitoring millization of the funds released - reg payment of statutory

deductions.

The undersigned is directed to refer to this Department's letter of even number dated 23<sup>rd</sup> March 2021 on the above mentioned subject. After taking into consideration the issues raised by various Ministrics/Departments to felicitate payment and settlement of various deductions/taxes while processing payments through PFMS, it has been decided that the following procedure may be adopted regarding payment of statutory deductions:

- A separate Bank account [to be called 'Holding Account'] shall be opened by the Agencies for holding the tax/statutory deductions.
- This Holding Account would be permitted to make payments outside of PFMS, through cheques or internet banking to effect the statutory payments with the challen details being captured simultaneously.
- iii. The Holding Account will serve the purpose of holding tax/duties levies/fees/municipal charges etc. of State Government, municipalities etc. which the Agencies need to process.
- The Holding Account will have the following conditions:
  - Account shall be opened preferably in the same bank as is the SNA/ZBA Account.
  - Maximum time for which money can be held in this account shall be fourteen days, after which the money shall be credited back to the Agency Account.
- A copy of the Standard Operating Procedure (SOP) for payment of Statutory Deductions/Taxes through PFMS is enclosed.
- 4. This issues with the approval of I mance Secretary and Secretary (Expenditure).

(Abhay Kumar) Director Tel. No. 24360647

To

All Secretaries to the Government of India

# SoP for tax/statutory deductions and payments on EAT Module of PFMS

- 1. Implementing Agencies shall open a separate bank account (Holding Account) preferably in the same bank where the main operational account (SNA/ZBA etc.) is held. This will be used for temporarily holding the taxes /statutory deductions etc.
- 2. The Holding Account will be a non-interest bearing account, where the transferred funds can be held for a maximum period of 14 days. This account can be used only for transfer of funds from PFMS (and not from any other source), and for processing the payment of deductions.
- 3. The Implementing Agency shall register the Holding Account details for the relevant scheme on PFMS for account validation.
- 4. While processing payments to a vendor, implementing Agency (IA) shall specify the following in the EAT module of PFMS:
  - n. gross amount of payment
  - b. relevant statutory/tax deductions
- 5. Implementing Agency shall first approve the net payment to vendor (i.e. the gross amount less the deductions) either through the DSC mode or the ePA/PPA mode.
- 6. After the vendor's payment is successful (as approved at Pt. 5 above), the Implementing Agency shall
  - a. in case of DSC payments, apply the DSC again for transferring the deductions to the Holding Account
  - b. in case of ePA/PPA payments, approve a separate ePA/PPA to transfer the deductions to the Holding Account
- 7. Implementing Agencies to use the Holding Account to make statutory payments outside PFMS through Internet Banking, or other mechanisms like cheques or challan payments. This will now be shown as 'Outstanding' in the 'Deduction Settlement' form on PFMS.
- 8. The Implementing Agencies shall use the 'Deduction Settlement' feature in PFMS to enter the tax / deduction / other challan details for all vendor payments which are reported as success by bank. This will clear the 'Outstanding' status of settlements.
- 9. Implementing Agencies need to make statutory deductions payment at the earliest, and not later than 14 days from the date of transfer of funds to Holding Account. After lapse of 14 days' period, the unutilized money shall be credited back to the Agency account.